



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ  
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,

RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014

पत्रांक संख्या :पी0जी0आई0 / सम्पत्ति / एच-559 / 189 / 2026

दिनांक 25.05.2026

परिपत्र

विषय: रिक्त टाईप-2ए श्रेणी के आवास आवंटन का प्रस्ताव आवास सं0 **04,10,17,18,32,33,45,47,176**

POSITION OF VACANT HOUSES			
UNRESERVE	OBC	SCHEDULED CASTE	ST
<b>09</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

नोट- अनारक्षित श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रार्थना-पत्र/आवेदन न प्राप्त होने की दशा में अन्य श्रेणी के कर्मियों को रिक्त आवास आवंटन किये जाने पर विचार किया जायेगा।

एतद्वारा वर्तमान में टाईप-2ए श्रेणी के आवंटन योग्य 09 आवास रिक्त है। वर्ष 2026 की अनन्तिम वरिष्ठता सूची में 03 अधिकारी/कर्मचारी (अनुसूचित जाति) प्रतीक्षारत है। उपरोक्त के क्रम में प्रस्तावित किया जाता है कि -

1. प्रथम वरीयता - वर्ष 2026 की अनन्तिम वरिष्ठता सूची में प्रतीक्षारत अधिकारियों/कर्मचारियों को अनारक्षित श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रार्थना-पत्र/आवेदन न प्राप्त होने की दशा में आवास आवंटन पर विचार किया जायेगा।
2. द्वितीय वरीयता - आवास आवंटन नियमावली-2014 के नियम-7 में प्राविधानित नियमों के अंतर्गत संस्थान में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अंदर आवास आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र नियमानुसार आवेदन किया गया हो पर दी जायेगी।
3. तृतीय वरीयता आवंटन नियमावली-2014 के नियम-7 में प्राविधानित नियमों के अंतर्गत संस्थान में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 15 दिनों के पश्चात् आवास आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने अथवा टाईप-2ए श्रेणी के आवास हेतु अन्य इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को दी जायेगी।
4. एक ही आवास हेतु अधिक कर्मियों के आवेदन प्राप्त होने की दशा में उपरोक्त बिन्दु सं0 01 से **3** तक को दृष्टिगत रखते हुये आवास आवंटन किया जायेगा।
5. भवनों का आवंटन निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार अनुमन्यता की सीमा तक ही भवन आवंटन किया जायेगा। साथ ही यदि भवन विशेष के आवंटन हेतु अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मियों द्वारा आवेदन किया जाता है उस दशा में वरिष्ठ कर्मी चाहे वह किसी भी श्रेणी का हों, वह भवन विशेष आवंटित किया जायेगा तथा इस संबंध में कनिष्ठ व अनिच्छुक कर्मियों से पत्राचार किये बिना कार्यवाही की जायेगी।
6. अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त विषयक में वर्णित आवासों का चयन कर आवास पर अपनी सहमति विलम्बतम दिनांक **02.06.2026** तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना चाहे। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
7. निर्धारित प्रारूप पत्र के साथ संलग्नक है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

  
सम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षों/नोडल अधिकारियों को ई-मेल/ई-आफिस के माध्यम से इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त आदेश से अवगत कराने की कृपा करें।
3. विभागाध्यक्ष बायोस्टैटिस्टिक्स से अनुरोध है कि उक्त आदेश संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
4. अधीक्षण अभियंता(विद्युत)/अधिशाषी अभियंता(सिविल)
5. समस्त नोटिस बोर्ड

  
सम्पत्ति अधिकारी

**FORMAT FOR PROVIDING DETAILS/OPTIONS FOR HOUSE ALLOTMENT**

1	Ref no of officer order no. with date	PGI/Estate/H- / /202 dt.	
2	Applicant Name		
3	Designation		
4	Pay Level		
5	Date of Pay Level/Grade Pay		
6	Caste (PI tick)	UR <input type="checkbox"/> OBC <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/>	
7	Date of Joining in the Institute		
8	Current Residence		
9	Preference of house according to office order	OPTION - 01	OPTION - 16
		OPTION - 02	OPTION - 17
		OPTION - 03	OPTION - 18
		OPTION - 04	OPTION - 19
		OPTION - 05	OPTION - 20
		OPTION - 06	OPTION - 21
		OPTION - 07	OPTION - 22
		OPTION - 08	OPTION - 23
		OPTION - 09	OPTION - 24
		OPTION - 10	OPTION - 25
		OPTION - 11	OPTION - 26
		OPTION - 12	OPTION - 27
		OPTION - 13	OPTION - 28
		OPTION - 14	OPTION - 29
OPTION - 15	OPTION - 30		
10	Whatsapp No		
11	Mobile No.		
12	ID No.		
13	Department's Name		
14	Email Address		
15	Date		
16	Signature		